रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223289
CG-DL-E-24112020-223289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2020/अग्रहायण 3, 1942
No. 519] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2020/AGRAHAYANA 3, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2014 खंड-IV (भाग-1) (पी-1439).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008, में -

(क) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

(i) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(घक) "असंतुलन प्रबंधन सेवा" का वही अर्थ होगा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवा) विनियम, 2016 में दिया गया है।"

(ii) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(झ) "टैरिफ जोन" का अर्थ है वह जोन जिसकी -

(i) इंजेक्शन के बिंदु से अंतिम बिंदु तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मार्ग के साथ प्रत्येक तीन सौ किलोमीटर की लंबाई हो:

बशर्ते कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का अंतिम क्षेत्र तीन सौ किलोमीटर या उससे कम लंबाई का हो:

आगे यह भी कि तीन सौ किलोमीटर से कम लंबाई की किसी भी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को एक जोन के रूप में गिना जाएगा; और

(ii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के साथ एक कोरिडोर, जिसकी चौड़ाई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई का दस प्रतिशत तक हो, लेकिन इसमें स्पर लाइनों की लंबाई या दोनों सिरों पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सतह पर निकटतम बिंदु से पचास किलोमीटर की दूरी शामिल न हो, तथा मूल बिंदु और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के अंतिम बिंदु, जो भी कम हो, शामिल हों -

(क) पहले टैरिफ ज़ोन को किसी भी उस ज़ोन के संदर्भ में गिना जाएगा जिसमें प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस का इंजेक्शन बिंदु शामिल होता है; और

(ख) बाद का टैरिफ जोन या एक से अधिक टैरिफ जोन, जैसा भी मामला हो, की गणना प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस की डिलीवरी के लिए संविदा मार्ग के साथ-साथ दोनों ओर अलग-अलग की जाएगी;

बशर्ते कि एक ही स्रोत से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ जोन के भीतर स्थित सभी ग्राहकों के लिए समान हो:

आगे यह भी कि संस्था प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से एक नई स्पर लाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के अधीन क्षेत्र में स्थित किसी भी ग्राहक को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी।

स्पष्टीकरण

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, संस्था बोर्ड को विभिन्न टैरिफ जोन और इंजेक्शन के प्रत्येक बिंदु से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में उनकी क्रमिक संख्या के बारे में जानकारी देगी।"

(ख) अनुसूची क में –

(i) खंड 5 के उप-खंड 8 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;-

"[(8) नियोजित पूंजी में शामिल किसी नियत परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली विविध आय या किसी परिचालन लागत के रूप में माने गए व्यय, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवा) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार असंतुलन प्रबंधन सेवा से प्राप्त आय शामिल है, लेकिन इसमें किसी निश्चित या अन्य परिसंपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर ब्याज से प्राप्त आय, लाभ या हानि शामिल नहीं है, को निवल परिचालन लागत माना जाएगा।"

(ii) खंड 6, में -

(क) उप खंड (1) में, मद (घ) के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(ड.) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को अधिकृत करना) विनियम 2008 के विनियम 12 और विनियम 21 सहित किसी भी अन्य विनियम में शामिल किसी बात के होते हुए, यदि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की क्षमता का बोर्ड द्वारा अधिकृत दस प्रतिशत से अधिक का विस्तार करने का प्रस्ताव है तो संस्था बोर्ड के विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में क्षमता के विस्तार की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि पाइपलाइन का टैरिफ कैपेक्स, ओपेक्स और विस्तारित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की मात्रा के आधार पर विस्तार के बिना पाइपलाइन के कैपेक्स, ऑपेक्स और मात्रा के आधार पर लागू टैरिफ के स्तर पर निर्धारित हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि दो प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के बीच किसी भी प्रकार के संपर्क को कनेक्टिविटी में वृद्धि/ विस्तार/ टाई नहीं माना जाएगा।

(ख) उप-खंड (2) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(3) किसी भी विनियम में किसी बात के होते हुए, इन विनियमों के तहत टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से एक वर्ष में 350 कार्य दिवसों पर विचार किया जाएगा।"

(iii) खंड 7 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7. आर्थिक आयु

किसी भी विनियम में किसी बात के होते हुए, पाइपलाइन की आर्थिक आयु को इन विनियमों के तहत टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से कमीशन की तारीख से तीस वर्ष माना जाएगा। यदि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को तीस से अधिक वर्षों के लिए अधिकृत किया गया है या इसके प्राधिकार को बाद में तीस वर्षों से आगे बढ़ाया गया है या तीस वर्षों से अधिक परिचालन में है, तो टैरिफ की गणना के लिए डीसीएफ मॉडल को प्राधिकार की पूरी अवधि तक या विस्तारित अवधि सहित अगली टैरिफ समीक्षा तक संचालन के लिए बनाया जाएगा। उक्त आर्थिक आयु के पूरा होने से पहले, जिसमें स्पर-लाइनें और टाई-इन लाइनें शामिल हैं, पाइपलाइन की 5% से अधिक की सीमा को टैरिफ निर्धारण के लिए नहीं माना जाएगा यदि ऐसे प्रतिस्थापन के लिए संस्था द्वारा बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।"

(iv) खंड 8 में, उप-खंड (1) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) संस्था बोर्ड के अनुमोदन के लिए, संलग्नक 1(i) भाग II में निर्दिष्ट प्रपत्र में परियोजना की आर्थिक आयु के दौरान सभी टैरिफ ज़ोन पर यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ को बांटने से संबंधित गणना प्रस्तुत करेगी, जहाँ X% एक सौ प्रतिशत से कम एकल संख्या होगी और Y% पचास प्रतिशत से कम एकल संख्या होगी।

यदि संस्था निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो बोर्ड उस पाइपलाइन के संबंध में तत्काल पूर्व जोनल टैरिफ निर्धारण के दौरान विभिन्न टैरिफ जोन के लिए टैरिफ के अनुपात में या किसी भी अन्य तरीके से जैसा बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा जाए, सभी प्राकृतिक क्षेत्रों में यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ को बांट सकता है।”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा.378/2020]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में 807(अ.), 20 नवंबर, 2008 को प्रकाशित हुआ था और इसमें जी.एस.आर. 986(अ.), दिनांक 20 दिसंबर, 2010, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/11/अंतिम टैरिफ फाइलिंग, दिनांक 30 मई, 2012, पीएस/ सचिव/एम(सी)/ 2012, दिनांक 13 सितंबर, 2012, फा.सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/48, दिनांक 17 फरवरी, 2014, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100, दिनांक 27 फरवरी, 2014, फा.सं. एल-विविध/VI/I/20017, दिनांक 01 जनवरी, 2015, पीएनजीआरबी/एम(सी)/110, दिनांक 08 जनवरी, 2016, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल टैरिफ (3)/2019, दिनांक 27 मई, 2019, फा.सं. पीएनजीआरबी/सीओएम/2-एनजीपीएल/ टैरिफ (3)/2019 खंड-II, दिनांक 27 मार्च, 2020 और फा.सं. पीएनजीआरबी/वाणि./2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2014 खंड-IV (भाग-1) (पी-1439) 23 नवम्बर 2020.द्वारा संशोधन किया गया था।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2020

F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439): In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 61 read with clause (e) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely: —

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Third Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, —

(a) in regulation 2, in sub-regulation (1),-

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: —

"(da) "Imbalance Management Services" shall have the same meaning as assigned to it in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016;";

(ii) for clause (i), the following clause shall be subsituted, namely: –

"(i) "tariff zone" means the zone –

(i) of a length of three hundred kilometers each along the route of the natural gas pipeline from the point of injection to the end point:

Provided that the last zone of the natural gas pipeline may be of a length of three hundred kilometers or less:

Provided further that any natural gas pipeline of a length less than three hundred kilometers shall be counted as a zone; and

(ii) a corridor along the natural gas pipeline with a width of up to ten percent of the total length of the natural gas pipeline without including the length of the spur lines or fifty kilometers measured from the nearest point on the surface of the natural gas pipeline on both sides, and includes the point of origin and the end point of the natural gas pipelines, whichever is less, and-

(a) the first tariff zone shall be counted with reference to any zone in which the point of injection of natural gas into the natural gas pipeline falls; and

(b) the subsequent tariff zone or tariff zones, as the case may be, shall be counted separately on either side along the contractual path for delivery of natural gas in the natural gas pipeline;

Provided that natural gas pipeline tariff for transport of natural gas from the same source shall be uniform for all the customers located within the zone:

Provided further that the entity shall supply natural gas to any customer located in the zone subject to the techno-commercial feasibility of laying, building, operating or expanding a new spur line from the natural gas pipeline.

Explanation

For the purposes of this clause, the entity shall submit to the Board information regarding various tariff zones and their sequential numbering in the natural gas pipeline from each point of injection.";

(b) in Schedule A,-

(i) for sub-clause (8) of clause 5, following clause shall be substituted, namely:-

"(8) Miscellaneous income realizable from a fixed asset included in the capital employed or out of an expense considered as an operating cost, including income from imbalance management services in accordance with the provisions of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, but excluding interest income, profit or loss on sale or transfer of any fixed or other asset, shall be netted from the operating cost.";

(ii) in clause 6,-

(A) in sub-clause (1), after item (d), the following shall be inserted, namely: —

"(e) notwithstanding anything contained in any other regulation including regulation 12 and regulation 21 of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build,

Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008, in case it is proposed to expand the capacity of the natural gas pipeline by more than ten percent of that authorized by the Board, the entity shall submit a proposal for consideration of the Board and the Board may allow for expansion of the capacity in the natural gas pipeline, but the tariff of the pipeline so determined based on the capex, opex and volumes of expanded natural gas pipeline shall be capped at the levels of the applicable tariff based on the capex, opex and volumes of the pipeline without expansion.

It is clarified that any interconnection between two natural gas pipelines shall not be considered as extension or expansion or tie in connectivity.";

(B) after sub-clause (2), the following clause shall be inserted, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in any regulations made under the Act, 350 working days shall be considered in a year for the purpose of tariff determination under these regulations.";

(iii) for clause 7, the following clause shall be substituted, namely:-

"**7. Economic Life**.

Notwithstanding anything contained in any regulations made under the Act, economic life of the pipeline shall be considered as thirty years from the date of commissioning for the purpose of tariff determination under these regulations. In case, the natural gas pipeline has been authorized for more than thirty years or its authorisation has been subsequently extended beyond thirty years or is in operation beyond thirty years, the DCF model for the tariff computation may be made for the entire period of authorization or operation till the next tariff review, including the extended period. Any replacement of the pipeline, in excess of five per cent of the length of the pipeline including spur-lines and tie-in lines, before the completion of the aforesaid economic life, shall not be considered for tariff determination if approval of the Board has not been obtained by the entity for such replacement."

(iv) in clause 8, for sub-clause (1), the following clause shall be substituted, namely:-

" (1) The entity shall submit for the Board's approval, the calculations in respect of apportioning of the unit natural gas pipeline tariff over all the tariff zones during the economic life of the project in the form specified in Part II of Attachment 1(i), where X% shall be a single number lower than one hundred per cent and Y% shall be a single number lower than fifty per cent.

In case the entity fails to submit the required information within the time determined by the Board for such purpose, the Board may apportion the unit natural gas pipeline tariff over all the tariff zones in the ratio of tariff for various tariff zones during the immediate preceding zonal tariff determination in respect of that pipeline or in any other manner as may be deemed fit by the Board."

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./378/2020]

Foot-note : Principal regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide No. G.S.R. 807(E), dated the 20th November, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 986(E), dated 20th December, 2010, F. No. PNGRB/M(C)/11/Final Tariff Filing, dated 30th May, 2012, PS/Secy./M(C)/2012, dated 13th September, 2012, F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 17th February, 2014, F. No. PNGRB/M(C)/100, dated 27th February, 2014, F. No. L-MISC/VI/I/20017, dated 01st January, 2015, PNGRB/M(C)/110, dated 08th January, 2016, F. No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019, dated 27th May, 2019 F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-II, dated 27th March, 2020 and F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439) 23rd November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.24 20:14:07 +05'30'